



82

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर
(पीठासीन अधिकारी श्रीमान एस.एस. अली)

प्र0क्र0 / पुनर्विलोकन / 64.10 / 2018 नरसिंहपुर / 2

श्रीमती आशा रहेजा पत्नि श्री दौलतराम रहेजा
उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी-कन्देली, नरसिंहपुर
द्वारा-मुख्यारेआम-दौलतराम रहेजा
आ0 श्री दानूमल रहेजा उम्र लगभग-60 वर्ष,
निवासी-स्टेशनगंज गयादत्ता वार्ड,
नरसिंहपुर, तह0व जिला नरसिंहपुर

— पुनर्विलोकनकर्ता

विरुद्ध

- 1- म0प्र0शासन,
द्वारा-श्रीमान अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर
- 2- श्रीमान अपर कमिश्नर, जबलपुर
- 3- सगक्ष प्राधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील एवं जिला नरसिंहपुर

— रेस्पांडेंटगण

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

पुनर्विलोकनकर्ता माननीय न्यायालय के प्र0क्र0 अपील/5280/2018
नरसिंहपुर के पारित आदेश दिनांक 19.11.2018 से आंशिक रूप से परिवेदित
होकर निर्धारित समयावधि में यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि पुनर्विलोकनकर्ता ने माननीय न्यायालय में अपर कमिश्नर जबलपुर
संगम जबलपुर के प्र0क्र0 0124/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक
26.06.2018 (जो कि न्यायालय अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के प्र0क्र0
02/अ-20(4)/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2017 एवं न्यायालय
सगक्ष प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के प्र0क्र0
01/अ-20(4)/2011-12 की आदेश पत्रिका दिनांक 05.05.2016 एवं नजूल
अधिकारी नरसिंहपुर के प्रतिवेदन दिनांक 10.08.2017 से उद्भूत है) से परिवेदित
होकर निर्धारित समयावधि में सुसंगत अभिलेखों सहित द्वितीय अपील प्रस्तुत की
थी।

2- यह कि माननीय न्यायालय ने पक्षकारों के तर्क श्रवण करने के उपरांत
अपीलांत की अपील ग्राह्य करते हुए प्र0क्र0 अपील 5280/2018 नरसिंहपुर
पंजीबद्ध किया था।

3- यह कि माननीय न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों को
आहूत कर उनका परिशीलन कर अपीलांत के लिखित तर्क एवं म.प्र. शासन के
पैनल लायर के तर्क पर विचारोपरांत दिनांक 19.11.2018 को आदेश पारित कर
अपर आयुक्त जबलपुर संगम जबलपुर के प्र0क्र0 0124/2017-18 में पारित
आदेश दिनांक 26.06.2018 एवं न्यायालय अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के प्र0
क्र0 02/अ-20(4)/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2017 त्रुटिपूर्ण मान्य
करते हुए निरस्त कर अपीलांत की अपील रवीकार की गई है। माननीय न्यायालय
के आदेश के इस अंश से अपीलांत परिवेदित नहीं है क्योंकि माननीय न्याय

401 05
डा. 2/18

Plu

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक पुनरावलोकन-नरसिंहपुर/भू.रा./2018/6499 6410

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस
24/12/18	<p>पुनरावलोकन आवेदन की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्र0क0 अपील-नरसिंहपुर/भू.रा./2018/5280 में पारित आदेश दि0 19-11-2018 पर से प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2/ पुनरावलोकन आवेदन में अंकित तथ्यों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि आदेश दिनांक 19-11-2018 के पद 4 एवं 5 में अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 1/अ-20(4)/2016-17 त्रुटिवश टंकित होने का प्रश्न है , इसी आदेश के पद 2 के सब पैरा में अपर कलेक्टर नरसिंहपुर का प्रकरण क्रमांक 2/अ-20(4)/2016-17 अंकित है जिसके कारण जहां प्रकरण क्रमांक 1/अ-20(4)/2016-17 टंकित हुआ है वह 2/अ-20(4)/2016-17 मान्य रहेगा। आवेदक द्वारा जिन तथ्यों का समावेश पुनरावलोकन आवेदन किया है, अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों में आये समस्त तथ्यों अनुसार विवेचना कर आदेश दि0 19-11-2018 पारित किया गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था दी गई हे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या, 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । <p>आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 1-6-18 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल अथवा विधिक त्रुटि हुई है अथवा उनके द्वारा</p>	

प्र०क० पुनरावलोकन-नरसिंहपुर/भू.रा./2018/6409 6410

ऐसा कौनसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय आदेश पारित करने के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। पुनरावलोकन आवेदन के आधार समाधानकारक न होने से राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-11-18 में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया है।


सदस्य

